भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1045

उत्तर देने की तारीख-10/02/2025

शैक्षिक ऋण के लिए राजसहायता

†1045. **श्री राजमोहन उन्नीथन:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक ऋण के लिए कोई राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो उक्त राजसहायता से लाभान्वित छात्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण के लिए किए गए बजट आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटित किया गया बजट देश के सकल घरेलू उत्पाद के 4 से 6 प्रतिशत के इंचियोन घोषणा के लक्ष्य से कम रहा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान व्यपगत निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 4 प्रतिशत बजटीय आवंटन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): प्रधानमंत्री-उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) के तहत, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन जारी रखने के लिए 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा ऋण संबंधी पीएम-यूएसपी क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) के तहत, मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 7.50 लाख रुपये तक के स्वीकृत शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है।

पीएम-यूएसपी सीएसआईएस के दिशानिर्देश https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-4 पर देखे जा सकते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) और शिक्षा ऋण संबंधी क्रेडिट गारंटी फंड योजना (सीजीएफएसईएल) हेतु आवंटित किया गया बजट (अंतिम अनुदान) 693 करोड़ रुपये था।

शिक्षा पर बजटीय व्यय के विश्लेषण के नवीनतम प्रकाशित परिणामों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय, केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकार के व्यय सहित शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय, सभी वर्षों 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में जीडीपी का 4% से अधिक रहा है।

*****

अनुलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा 'शैक्षिक ऋण के लिए राजसहायता' के संबंध में दिनांक 10/02/2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1045 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	2023-24	
	दावा वर्ष	2022-23	
	राज्यों का नाम	दावों की संख्या	दावा की गई राशि करोड़ में
1	अंडमान और निकोबार	49	0.10
2	आंध्र प्रदेश	11346	25.13
3	अरुणाचल प्रदेश	31	0.07
4	असम	785	1.23
5	बिहार	8293	19.14
6	चंडीगढ़	265	0.53
7	छत्तीसगढ	2794	5.50
8	दादरा और नागर हवेली	9	0.01
9	दमन और दीव	11	0.02
10	दिल्ली	2517	5.53
11	गोवा	379	1.01
12	गुजरात	3597	9.34
13	हरियाणा	3126	6.76
14	हिमाचल प्रदेश	1636	2.73
15	जम्मू और कश्मीर	2143	2.66
16	झारखंड	4922	10.74
17	कर्नाटक	56087	87.21
18	केरल	64779	105.24
19	लद्दाख	8	0.01
20	लक्षद्वीप	2	0.00
21	मध्य प्रदेश	13980	27.86
22	महाराष्ट्र	30143	47.19
23	मणिपुर	99	0.00
24	मेघालय	120	0.25
25	मिजोरम	23	0.05
26	नागालैंड	19	0.05
27	ओडिशा	8068	14.64
28	पुदुचेरी	1133	1.88
29	पंजाब	1409	2.83
30	राजस्थान	5991	14.27
31	सिक्किम	40	0.05
32	तमिलनाडु	52758	75.47
33	तेलंगाना	2795	6.20
34	त्रिपुरा	421	0.85
35	उत्तर प्रदेश	16337	33.13
36	उत्तराखंड	2634	4.93
37	पश्चिम बंगाल	8321	18.65
कुल		307070	531.41